


1.07.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO), वाड़मेर

